दिनांक 21.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 31/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

ए0एन0टी0एफ0 थाना बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 03 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 90 किलो 70 ग्राम अवैध गांजा जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत (लगभग 45 लाख रुपये) व 01 अदद मो0सा0 बुलेट बरामद किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0 के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एएनटीएफ थाना बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 03 सक्रिय तस्करों (1) राहुल सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम मेढ़ा थाना खुटहन जनपद जौनपुर उ0प्र0 (2) शनि सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम कपूरपुर थाना तेजी बाजार जनपद जौनपुर उ0प्र0 (3) सत्यप्रकाश सिंह उर्फ डब्लू पुत्र स्व0 अशोक सिंह उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम खैरपारा थाना तेजी बाजार जनपद जौनपुर उ0प्र0 को पकड़ कर, उनके कब्जे से 90 किलो 70 ग्राम अवैध गांजा जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत (लगभग 45 लाख रुपये) व 01 अदद मो0सा0 बुलेट बरामद कर गिरफ्तार किया गया। थाना बदलापुर जनपद जौनपुर में मु0अ0सं0 340/2025 धारा 8/20/29/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 पंजीकृत कराकर, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरणः—

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से गहनता से पूछताछ की गई तो अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हम तीनों लोग पार्टनर हैं । हम लोग मिलकर अवैध गाँजे का धंधा करते हैं। हम तीनों लोग संयुक्त रूप से सस्ते दाम पर गांजे को खरीदकर ग्राहक मिलने पर उसे महँगे दामों पर बेच देते हैं, और जो हमें लाभ होता है उसे आपस में बाँटकर अपने शौक पूरे करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1. राहुल सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम मेढ़ा थाना खुटहन जनपद जौनपुर।

2. शनि सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम कपूरपुर थाना तेजी बाजार जनपद जौनपुर।
3. सत्यप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 अशोक सिंह उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम खैरपारा थाना तेजी बाजार जनपद जौनपुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

दिनांकः 20.08.2025 समयः 20:50 बजे, स्थानः विद्यावती मैरिज लॉन के सामने NH 731 वाराणसी लखनऊ मार्ग बहद ग्राम सुल्तानपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।

कुल बरामदगीः–

1. 90 किलो 70 ग्राम अवैध गांजा जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत (लगभग 50 लाख रुपये)
2. 01 मो0सा0 नं0 बुलेट
3. 04 एन्ड्रायड मोबाइल फोन।
4. 01 अदद RUPAY ATM कार्ड।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम ए0एन0टी0एफ0 थाना बाराबंकीः–

1. प्र0नि0 अयनुद्दीन थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
2. उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
3. उ0नि0 श्री करुणेश पाण्डेय थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
4. उ0नि0 श्री पुरुषोत्तम विश्वकर्मा थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
5. उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
6. उ0नि0 श्री मनीष कुमार दुबे थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
7. हे0का0 दीपक कुमार थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
8. हे0का0 सुनील राय थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
9. हे0का0 वेदप्रकाश दुबे थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
10. हे0का0 आलोक सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
11. हे0का0 कौशल यादव थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
12. का0 कृष्ण कुमार यादव थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
13. का0 अभिषेक सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।
14. का0 अमरपाल थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी।

सहयोगार्थ टीमः– थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर।

जनपद मथुरा/थाना जैत

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपय का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20.08.2025 की रात्रि थाना जैत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एन0एच0–19 प्रकाश ढाबा के बगल सुदामा बिहार के पीछे बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त युनूस घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जैत पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जैत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–युनूस निवासी इस्लामाबाद उटावर थाना उडावड जनपद पलवल, हरियाणा।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सोनभद्र/थाना रायपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 21.08.2025 को थाना रायपुर व थाना पन्नूगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमीरूद्दीन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रायपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमीरूद्दीन निवासी ग्राम टोड़ी थाना भगवानपुर भभुआ (कैमूर) बिहार।

जनपद रामपुर/थाना शाहबाद

- **25 हजार रूपय का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **9500/—रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20.08.2025 को थाना शाहबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामगंगा पुल के पार पटवाई की तरफ सड़क के किनारे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाहरूख उर्फ मो0 उमर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली—सफेद धातु के आभूषण, 9500/—रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहबाद पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शाहबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाहरूख उर्फ मो0 उमर निवासी ग्राम रवाना थाना सैफनी जनपद रामपुर।

बरामदगो

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–9500/–रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद जौनपुर/थाना कोतवाली

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चारी की 06 मोटर साइकिल**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 21.08.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तारापुर कॉलोनी के पास से 03 अभियुक्तों 1–अनुराग 2–रोहित 3–अंकित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, लूट का 01 मोबाइल फोन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनुराग निवासी चकताला थाना मडियाहू जनपद जौनपुर।

2–रोहित निवासी उदई शाहपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

3–अंकित निवासी उमापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल।

2–लूट का 01 मोबाइल फोन।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मानकनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 33 लाख रूपये कीमत क 66 किलो 938 ग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 21.08.2025 को थाना मानकनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कनौसी फलाई ओवर के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–अनिल कुमार 2–प्रदीप को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 33 लाख रूपये कीमत के 66 किलो 938 ग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मानकनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनिल कुमार निवासी ग्राम मुइयापार थाना मिलेरियागंज जनपद आजमगढ़।

2—प्रदीप निवासी सादीअलैर कुठी थाना साहबगंज जनपद कूच बिहार पश्चिम बंगाल।

बरामदगी

1—लगभग 33 लाख रूपये कीमत के 66 किलो 938 ग्राम अवैध गांजा।

2—नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन आदि।

- **जनपद महोबा/थाना महोबकंठ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना महोबकंठ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त खचोरे उर्फ कढ़ोरे उर्फ विपेन्द्र को कठोर आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद औरैया/थाना दिबियापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना दिबियापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अखिलेश को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना सिरसिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सिरसिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/506 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मंगल प्रसाद उर्फ मंगरे को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————